समाहरणालय, पटना।

(जिला भू–अर्जन शाखा)

प्रपत्र–VI

समाहर्त्ता / अपर समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा– 19 (1) के अधीन)

पत्रांक–............................ दिनांक.................................

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०–78 निर्माण हेतु मौजा– रबियाचक, थाना सं०– 71, अंचल–फतुहा, थाना–फतुहा, जिला– पटना में कुल 0.35 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू–खंड है जो मानक माप से कमोवेश 0.35 एकड़ है और जो मौजा– रबियाचक, थाना सं०–71, अंचल–फतुहा, थाना–फतुहा, जिला– पटना मे है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	124	9	रैयती	कृषि	0.35	श्री हरिनारायण सिंह पिता स्व0 लखनदेव सिंह, सा0– सैदनपुर	8 अंश	12 अंश, 13 अंश, 14 अंश	83 अंश	10 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30 / 2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोंदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

24/10

समाहर्त्ता,
पटना।

ज्ञापांक सं0– 2512 दिनांकः 25.10.16

1. प्रतिलिपिः– तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपिः– प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

24/10

समाहर्त्ता,
पटना।